इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467] भोपाल, बुधवार , दिनांक 23 नवम्बर 2016—अग्रहायण 2, शक 1938

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. एफ-1(बी)-133-2015-बी-4-दो.— माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा द्वारा सी. आर. क्रमांक 3434 सन् 2013 में दिनांक 29 अक्टूबर 2013 को चामकौर सिंह विरुद्ध मिथु सिंह में पारित आदेश में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुपालन में, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में निजी क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से कार्यरत फॉरेन्सिक प्रश्नास्पद प्रलेखों के परीक्षकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश फॉरेन्सिक प्रश्नास्पद प्रलेख के परीक्षकों का विनियमन नियम, 2016 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(3) ये नियम मध्यप्रदेश राज्य में निजी रूप में कार्यरत् फॉरेन्सिक प्रलेखों के समस्त परीक्षकों पर लागू होंगे.

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश फॉरेन्सिक प्रलेख परीक्षक प्राधिकरण;

(ख) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(ग) "विशेषज्ञ मंडल" से अभिप्रेत है, प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन फॉरेन्सिक प्रलेख परीक्षकों का पैनल;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(ङ) "फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय फॉरेन्सिक प्रयोगशाला/राज्य परीक्षक, प्रश्नास्पद प्रलेख, मध्यप्रदेश शासन;

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश फॉरेन्सिक प्रलेख परीक्षक प्राधिकरण का सदस्य;

(छ) "कार्यरत फौरेन्सिक प्रलेख परीक्षक" से अभिप्रेत है, कोई निजी प्रलेख विशेषज्ञ जिसे कम से कम दस वर्षों के पूर्णकालिक आधार पर व्यवसाय का अनुभव हो;

(ज) "रजिस्ट्रकरण" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश फौरेन्सिक प्रलेख परीक्षक प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण.

3. **फौरेन्सिक प्रलेख परीक्षक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु अर्हताएं एवं अपेक्षाएं.**—मध्यप्रदेश राज्य में कार्य करने के पूर्व सभी फौरेन्सिक प्रलेख परीक्षकों को स्वयं को प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिये.

रजिस्ट्रीकरण की वांछा रखने वाला आवेदक—

(क) सामान्यतया मध्यप्रदेश का निवासी हो;

(ख) अच्छे नैतिक चरित्र, पूर्ण निष्ठा तथा अच्छी प्रतिष्ठा/स्वच्छ छवि तथा नैतिक एवं व्यावसायिक स्तर का व्यक्ति हो;

(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेन्सिक विज्ञान में कम से कम स्नातक की उपाधि, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी फौरेन्सिक विज्ञान संस्थान से विज्ञान/अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या फौरेन्सिक प्रलेख परीक्षा में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का डिप्लोमा धारक हो;

(घ) फौरेन्सिक प्रश्नास्पद प्रलेख परीक्षा में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो;

(ड़) दो शासकीय फारेन्सिक प्रलेख परीक्षकों के संदर्भ प्रस्तुत करने होंगे, जो रजिस्ट्रीकरण हेतु उसकी उपयुक्तता को सत्यापित करते हो;

(च) इन नियमों से संलग्न नैतिक एवं आचार संहिता का पालन करना.

4. **मध्यप्रदेश फॉरेन्सिक प्रलेख परीक्षक विनियामक प्राधिकरण का गठन.**—(1) मध्यप्रदेश शासन अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश फौरेन्सिक प्रलेख परीक्षक विनियामक प्राधिकरण के नाम से एक निकाय का गठन करता है.

(2) प्राधिकरण, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

1.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग	..	अध्यक्ष
2.	संचालक, अभियोजन, मध्यप्रदेश	..	सदस्य
3.	राज्य परीक्षक, प्रश्नास्पद प्रलेख, मध्यप्रदेश	..	सदस्य
4.	संचालक, राज्य फौरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश	..	सदस्य
5.	प्राध्यापक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फौरेन्सिक विज्ञान विभाग (मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट)	...	सदस्य
6.	पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., मध्यप्रदेश	..	सदस्य-सचिव.

5. **रजिस्ट्रीकरण के सामान्य उपबंध.**—(1) प्राधिकरण, इन नियमों के संबंध में, उपरोक्त नियम 3 में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अभ्यर्थी से रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन स्वीकार कर सकेगा, या कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुये निरस्त कर सकेगा.

(2) रजिस्ट्रीकरण दस वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसकी समाप्ति के पश्चात्, नियम-3 में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकरण द्वारा उसे एक बार में दस वर्ष की कालावधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा.

(3) मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा वेबसाइट पर सम्यक्रूप से रजिस्ट्रीकृत फौरेन्सिक प्रलेख परीक्षकों की सूची संधारित एवं समय-समय पर अद्यतन की जाएगी.

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत फौरेन्सिक प्रलेख परीक्षक की रिपोर्ट पर, विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण क्रमांक अंकित होगा.

(5) इन नियमों के परिशिष्ट या इन नियमों के किन्ही उपबंधों में व्यावसायिक मानकों या नैतिक एवं आचरण संहिता के प्रकरण के भंग की दशा में, प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकृत फौरेन्सिक दस्तावेज परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई करने की शक्ति होगी, जिसमें सम्मिलित हैं:—

(क) लिखित भर्त्सना; अथवा

(ख) विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये रजिस्ट्रीकरण का निलंबन; अथवा

(ग) रजिस्ट्रकरण का निरस्तीकरण:

परन्तु यह कि फॉरेन्सिक दस्तावेज परीक्षकों को ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जावेगा.

6. **विशेषज्ञ मण्डल.**—फॉरेन्सिक दस्तावेज परीक्षकों के मत में असंगति होने की दशा में, प्रकरण न्यायालय द्वारा संदर्भित किये जाने पर, प्राधिकरण तीन विशेषज्ञों का एक मण्डल नियुक्त करेगा, एवं वह इस संबंध में व्यावसायिक अभिमत देगा. मण्डल के सदस्यों को ऐसे प्रकरणों के परीक्षण के लिये फीस का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए.

7. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हैं, तो वह सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जो मामले का विनिश्चिय करेगा.

उपाबंध

नैतिक एवं आचार संहिता

(1) दस्तावेज परीक्षण से संबंधित समस्त समस्याओं के मूल्यांकन में विज्ञान के सिद्धांत एवं तर्क प्रयुक्त करना.

(2) सतत् अध्ययन तथा अनुसंधान द्वारा प्रश्नास्पद प्रलेख के क्षेत्र में नवीनतम विकास की जानकारी अच्छी तरह से रखना.

(3) मुवक्किल से मिली जानकारी को गोपनीय रखना और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके हित वास्तविक मुवक्किल के हितों के प्रतिकूल हों, वैसी ही सेवाएं देने से इंकार करना.

(4) भौतिक साक्ष्यों के आधार पर सही अर्थों में और केवल उस सीमा तक जो कि तथ्यों के आलोक में न्यायोचित हों, सख्ती से व्यावसायिक अभिमत देना.

(5) न्यायालय के बाहर और अंदर पूर्ण रूप से निष्पक्ष व्यवहार करना और ऐसा कुछ न करना जिससे प्रकरण में पक्षपात प्रदर्शित हो.

(6) विषयवस्तु के महत्व को विचार में लाए बिना सभी मामलों में हर संभव सर्वोत्तम सेवाएं देना.

(7) दी गई सेवाओं के लिए परस्पर सहमति की संविदा के अनुसार सेवाओं हेतु प्रभार लेना.

(8) आकस्मिक फीस के आधार पर कोई काम नहीं किया जाएगा.

(9) विधि के न्यायालय में दिए गए व्यावसायिक अभिमत के अनुसार साक्ष्य देना.

(10) उत्कृष्ट नैतिक एवं तकनीकी मानकों के साथ निष्पक्ष संयुक्त न्याय की सतत् भावना बनाये रखना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd November 2016

No. F 1(B)133-2015-B-4-Two.—In compliance of the directions contained in order dated 29-10-2013, passed by Hon'ble High Court of Punjab and Haryana in CR No. 3434 of 2013, titled as Chamkaur Singh Vs Mithu Singh, the Government of Madhya Pradesh, hereby makes the following Rules to regulate the services of Forensic Questioned Document Examiner working in the field as private practitioners in the State of Madhya Pradesh, namely:—

RULES

1. **Short title commencement and application.**—(1) These rules may be called—The Madhya Pradesh Forensic Questioned Documents Examiners Regulation Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of publication in the official gazette.

(3) These rules shall apply to all Forensic Documents Examiners working as private preactioners in the State of Madhya Pradesh.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Authority" means the "Madhya Pradesh Forensic Documents Examiners' Authority;

(b) "Annexure" Means the annexure appended to these rules;

(c) "Board of Experts" means a panel of three Forensic Document examiners nominated by the Authority;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(e) "Forensic Science Laboratory means" Central Forensic Laboratory/State Examiner of Questioned Documents, Government of Madhya Pradesh;

(f) "Member" means Member of the Madhya Pradesh Forensic Documents Examiners Authority;

(g) "Practicing Forensic Document Examiner" means any private documents expert having at least ten years experience of practice on full time basis;

(h) "Registration" means the registration with the Madhya Pradesh Forensic Documents Examiners Authority;

3. **Qualifications and requirements for registration as Forensic Document Examiner**.—All Forensic Document Examiners must get themselves registered with the Authority before operating in the state of Madhya Pradesh.

The applicant seeking registration shall—

(a) Ordinarily be a resident of Madhya Pradesh;

(b) Be a person of good moral character, having high integrity and good repute and having a high ethical and professional standing;

(c) possess at least a graduate degree in Forensic Science from any recognized university, or a Science/ Engineering graduate degree with a post graduate degree of a diploma of a full time course in Forensic Documents Examination from any recognized University or any Forensic Science Institute of the Government of India or a State Government;

(d) Have five years experience in Forensic Questioned Documents examination;

(e) Submit the references of two Government Forensic documents examiners, attesting to his/her suitability for registration;

(f) Abide by the Code of Ethics and Conduct annexed to these rules.

4. **Constitution of Madhya Pradesh Forensic Documents Examiners' Regulatory Authority**.—(1) The Government of Madhya Pradesh by Notification constitutes a body to be known as Madhya Pradesh Forensic Documents Examiner Regulatory Authority.

2. The Authority shall consist of the following persons, namely:—

1. Secretary, Government of Madhya Pradesh, Home Department,	..	Chairperson
2. Director, Prosecution, Madhya Pradesh	..	Member
3. State Examiner Questioned Documents, Madhya Pradesh	..	Member

4.	Director, State Forensic Science Laboratory, Madhya Pradesh	..	Member
5.	Professor, Department of Forensic Science from any recognized University (Nominated by the Govt. of M. P.)	..	Member
6.	Inspector General of Police, C.I.D., Madhya Pradesh	..	Member-secretary

5. **General Provisions of Registration.**—(1) The Authority may, having regard to these rules, accept an application for registration from any candidate fulfilling the requirements mentioned in rule 3 above or reject the same for reasons to be recorded in writing.

(2) The registration shall be valid for a period of ten years, after the expiry of which it may be renewed by the Authority, for a ten year period at a time, subject to the continued compliance of the terms and conditions mentioned in Rule 3.

(3) The list of duly registered Forensic Document Examiners shall be maintained and updated periodically on a website by the Department of Home, Government of Madhya Pradesh.

(4) The report of every registered Forensic Document Examiner shall bear his/her valid registration number issued by the regulatory Authority.

(5) In case of breach of professional standards or the Code of Ethice and Conduct annexed to these rules or any provisions of these Rules, the Authority shall have the power to take disciplinary action against a registered forensic document examiner, which may include—

(a) a written reprimand; or

(b) suspension of registration for a specific period; or

(c) cancellation of registration.

Provided that the Forensic Document Examiners shall be given an opportunity to be heard before such disciplinary action.

6. **Board of Experts.**—The Authory shall appoint a Board of three experts, which shall, in case of a conflict of opinion among the Forensic Document Examiners, upon a reference from a court, give its professional opinion. The members of the Board shall be paid a fee for the examination of such cases, as decided by the State Government.

7. **Interpretation.**—If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Secretary, Home Department, Government of Madhya Pradesh who shall decide the matter.

ANNEXURE

Code of Ethics and conduct

(1) To apply the principles of science and logic in the evaluation of all problems relating to document examination.

(2) To be kept well informed on latest developments in the field of QD by constant study and research.

(3) To keep information received from clients confidentail and to refuse to perform similar services for any person whose interests are opposed to those of the original client.

(4) To give a professional opinion strictly in accordance with the physical evidence and only to the extent justified by the facts.

(5) To behave in and out of courts in an absolutely impartial and an unbiased manner in the case in question.

(6) To give the best possible services in all cases irrespective of the importance of the matter.

(7) To charge for services in accordance with a mutually agreed contract for services rendered.

(8) No engagement shall be undertaken on a contingent fee basis.

(9) To testify in the court of law as per the professional opinion given.

(10) To maintain a constant spirit of fairness combined with high ethical and technical standards.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AZEEZA SARSHAR ZAFAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.